राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – (1–2) 87/2016 व 88/2016..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स रूद्रा इंटीनियर एण्ड डेकोरेटर्स, GI-980, इण्डस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत–द्वितीय, भिवाड़ी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
15/01/2016	अपीलार्थी द्वारा ये दो अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या क्रमशः 51 व 52/RVAT/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 03.11.2015 के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई हैं। दोनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण विभागीय टीम द्वारा दिनांक 21.05.2014 को किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा मैसर्स अंजली ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर (टिन नं0 08511664404) एवं मैसर्स बजरंग ट्रेडिंग कम्पनी (टिन नं0 08371764488) से वैट चुकाकर माल क्रय किया जाना तथा आई.टी.सी. क्लेम किया जाना पाया गया। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर वृत–ए, भिवाड़ी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उक्त विक्रेता फर्मों के कर निर्धारण अधिकारियों से फर्मों के बारे में जानकारी की जाने पर उक्त फर्में मौके पर नहीं पायी गयी। विभागीय सॉफ्टवेयर राजविस्टा से मिलान करने पर उक्त फर्मों द्वारा आलौच्य अवधियों बाबत कोई वैट जमा करवाया जाना नहीं पाया गया। साथ ही यह भी पाया गया कि मैसर्स अंजली ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन प्रमाण–पत्र दिनांक 23.01.2015 से तथा मैसर्स बजरंग ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन प्रमाण–पत्र दिनांक 31.03.2013 से निरस्त किया जा चुका है। उक्त आधारों पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह मानते हुए कि जब कोई कर राजकोष में जमा ही नहीं हुआ है, तो उसका आई.टी.सी. अनुज्ञेय किये जाने का आधार ही नहीं बनता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.06.2015 को वेट अधिनियम की धारा 25, 61, 64, 55, 10 व 18 के तहत पारित करते हुए अपीलार्थी द्वारा क्लेम किये गये आई.टी.सी. को रिवर्स किया गया तथा करापवंचन के लिये कर की चार गुणा शास्ति भी आरोपित की गई।	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – (1–2) 87/2016 व 88/2016..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स रूद्रा इंटीनियर एण्ड डेकोरेटर्स, GI-980, इण्डस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत–द्वितीय, भिवाड़ी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/01/2016	अपीलार्थी द्वारा उक्त सृजित मांग राशि की वसूली पर स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2015 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, आरोपित शास्ति की राशि की वसूली को स्थगित करते हुए, रिवर्स कर की राशि पर स्थगन से इंकार किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा ये दोनों प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में रिवर्स टैक्स की बकाया मांग राशियों की वसूली को स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :–	

अपील संख्या	क.नि.वर्ष	रिवर्स कर	शास्ति	अपी.अधि.द्वारा स्वीकृत स्थगन	चाहा गया स्थगन
87/16	2012–13	15,57,940	62,31,760	62,31,760	14,02,146
88/16	2013–14	15,54,570	62,18,280	62,18,280	13,99,113

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री डी. कुमार ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा नियमानुसार वैट अदाकर माल क्रय किया गया है, जिसका वह आई.टी.सी. प्राप्त करने का अधिकारी है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का मनमाने तौर पर विश्लेषण करते हुए, आई.टी.सी. अस्वीकृत किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन स्वीकार करते हुए, रिवर्स टैक्स को वसूलनीय अवधारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के विक्रेता व्यवहारियों की जांच में फर्में बंद पायी गयी तथा उनके द्वारा केवल कागजी रूप से व्यवसाय किया जाना पाया गया। राजविस्टा से मिलान करने पर विक्रेता फर्मों द्वारा आलौच्य अवधियों में कोई वैट राजकोष में जमा करवाया जाना नहीं पाया गया। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आई.टी.सी. को रिवर्स करते हुए रिवर्स टैक्स व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया है। रिवर्स टैक्स के बिन्दु पर प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं बताते हुए अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – (1–2) 87/2016 व 88/2016..... जिला .....अलवर.....

उनवान : मैसर्स रूद्रा इंटीनियर एण्ड डेकोरेटर्स, GI-980, इण्डस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत–द्वितीय, भिवाड़ी.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/01/2016	उभय पक्ष की बहस पर मनन करने, अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों तथा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा संतुलन (Balance of convenience) अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अपीलीय अधिकारी ने शास्ति राशि की सीमा तक स्थगन स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को अधिकतम राहत प्रदान की जा चुकी है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार की जाती हैं। उपरोक्तानुसार दोनों अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	